

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1402 / 2023 दिनांक : (1) .05.2023


श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ00297), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 08.03.2023 से 19.03.2023 तक 12 दिनों का परावर्तित अवकाश।
2. दिनांक 08.04.2023 से 17.04.2023 तक 10 दिनों का परावर्तित अवकाश
दिनांक 06.04.2023 से 07.04.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 11.05.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/11/1998/3104

दिनांक : (1) .05.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 266/92 दिनांक 04.05.2023/18.04.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ00297), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, भीलवाड़ा।


सहायक रजिस्ट्रार 11.5.2023